FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0032 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 05/09/2025 20:17 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 09/06/2010 **Date To (दिनांक तक):** 21/12/2021

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/09/2025 **Time (समय):** 18:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 032 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/09/2025 18:10 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 10 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Ashok Kumar

(b)

Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1978 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**part 1 sec-15, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**part 1 sec-15, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9911866177

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	आदर्श कुमार गुप्ता तत्कालीन			1. मुख्य अभियंता-1 HSVP,पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	अशोक कुमार मग्गु तत्कालीन			1. मुख्य अभियंता-2,HSVP,पंचुकला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	एल०के० आहुजा तत्कालीन अतिरिक्त			1. मुख्य अभियंता-1 HSVP,गुरुग्रा, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	अनिल कुमार माकन तत्कालीन अतिरि			1. मुख्य अभियंता-1,HSVP,गुरुग्र, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
5	नरेश कुमार पंवार तत्कालीन			1. अधीक्षक अभियंता-5,HSVP,गुरुग, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
6	अनिल कुमार वर्मा तत्कालीन			1. एस०डी०ई० सब डिविजन-XIII,HSVP,गुरुग्राम GURUGRAM,HARYANA,INDIA
7	रामेश्वर सिंह बिशनोई तत्कालीन सेवानिवृत			1. कार्यकारी अभियंता-5, HSVP,GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
8	वी०के० कालरा तत्कालीन अतिरिक्			1. कार्यकारी अभियंता,HSVP,पंचकु, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
9	मेजर श्वेता शर्मा नगरकोटी तत्कालीन			1. कार्यकारी अभियंता-5,HSVP,गुर, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
10	सुरेन्द्र कुमार मित्तल ठेकेदार			1. म0न0 1355 सै0 18 फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे । श्रीमान जी, निवेदन है कि यह जांच कमांक 07 दिनांक 21.12.2021 गुरुग्राम, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक न0 58/14/2021-1 चौकसी-1 दिनांक 09.12.2021 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला, कार्यालय में दर्ज रजिस्टर की जाकर उनके कार्यालय के पृष्ठ क्रमाक 19408/आई-2/एस०वी०बी० (ह) दिनांक 21.12.2021 के अनुसार पडताल हेतू इस मण्डल में प्राप्त हुई थी।

जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरुग्राम के पत्र कमांक 527/ACB/GGM dated 23.01.2024 अनुसार श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला को भिजवाई गई थी। जिस पर महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 5453/1-2/ACB(H) dated Panchkula, the 07-02-2024 के अनुसार बिन्दू लगने उपरांत Updated Report तैयार करके मुख्यलाय पंचकुला भिजवाई गई थी।

जांच में लगाये गये आरोपों की पडताल पुखरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के द्वारा पूर्ण की गई थी। जो जांच में आरोपो की पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखों का गहनता से अवलोकन किया गया जो आरोप न० 2 इस प्रकार से है कि PAC ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए CAG पैरा सख्या 3.21 शीर्षक "Allotment of work to ineligible contractor through enhancement", का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। "... The road works of Rs.52.15 Cr. Were allotted to a technically and financially ineligible contractor by enhancing his agreement from R. 9.54 crore without fixing time limit. Resultantly, the contractor constructed only 6 percent road in three years, despite urgency. Undue favor was also extended to the contractor by not obtaining performance security of Rs.2.60 Crore..."

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम की एक कमेटी ने गुरूगाम में सैक्टर 99 से 115 तक मास्टर रोड के निर्माण के लिए 212.55 करोड की एक प्रशासनीक स्वीकृती ली थी। जो इस कम में सैक्टर 101 तथा 104 गुरूगाम मे 30.190 स्केयर मीटर डिवाइडिंग रोडज के निर्माण के लिए 13 करोड रू० की एक DNIT मन्जुर की गई। जिसके लिए टैण्डर आमत्रित किये गये। जिस टैण्डर में सात कान्ट्रेक्टरो ने भाग लिया। जिस कान्ट्रेक्टर का यह काम सौपा गया उसका रेट सबसे कम था। टैण्डर रेट 9.54 करोड रू० के एग्रीमैन्ट को एनहांस करते हुए 52.15 करोड रू० तक बढ़ा दिया गया। इस कान्ट्रेक्टर का कार्य वर्ष दिसम्बर 2017 तक पुरा होना था। यह कार्य ऑडिट के समय मात्र 6 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ था। नियम के मुताबिक यदि एग्रीमेन्ट को enhance करना होता है, तो 10 प्रतिशत एग्रीमेन्ट से ज्यादा एग्रीमेन्ट enhance नहीं किया जा सकता। जिसके लिये भी अनुमति लेनी होती है। यह टैण्डर के नियम व शर्तों को ताक पर रखते हुये अलॉट किया गया और टैण्डर के एग्रीमेन्ट को enhance किया गया तथा ठेकेदार से प्रर्फोमेन्श सिक्योरटी तक नहीं ली गई।

जांच की पडताल दौरान प्राप्त किये कथनो, प्रलेखों व तकनिकी अधिकारी की रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत पाया गया कि मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकुला, हरियाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक 23397-400 दिनांक 09.06 2010 अनुसार सैक्टर 99 से 115 गुरूग्राम तक नए सेक्टरों के लिए Central verge के लिये सड़को के निर्माण के लिये कुल 212.55 करोड़ रुपये की व्यापक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जाच के दौरान 75 मीटर (2x14) और 60 मीटर (2×12.5) के निर्माण के लिए 13.40 करोड रू0 की एक अनुबंध अनुसूची दर (contract schedule of rate) सेक्टर 99 से 115 गुडगांव, मानेसर कॉम्प्लेक्स 2025 AD के बीच सड़कों को विभाजित करने वाले चौड़े बैलेंस रोड सेक्टर 101/104 के निर्माण लिये मंजूरी

मुख्य अभियंता, HSVP, गुरूग्राम द्वारा दी गई। कार्यकारी अभियंता, डिविजन-5 गुरूग्राम द्वारा ई-टैंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदा आमन्त्रित की गई, जिसमे 07 एजेंसियों ने भाग लिया।

जांच के दौरान एस०के० मित्तल कॉन्ट्रेक्टर की बोली अनुमोदित DNIT से 25.99% Blow the ceiling rate होने पर मुख्य अभियंता 1, हुडा, पंचकुला हरियाणा द्वारा उनके कार्यालय पत्र कमांक CE-1/E.E(W)/Supdt.(E)/3740 dated 03-04-2015 अनुमोदित की गई। जिस पर रामेश्वर सिंह बिशनोई कार्यकारी अभियंता, डिविजन 5, गुरूग्राम द्वारा उनके कार्यालय पत्र क्रमांक 05/2015/3432 dated 13-04-2015 अनुसार श्री एस०के० मित्तल कॉन्ट्रेक्टर मकान नं0 1355 सैक्टर 18 फरीदाबाद को दिनांक 27-04-2015 से जनवरी 2016 तक 9 महिने में कार्य पूर्ण करने के लिये कुल 9,53,91,348/ Rs. का टैण्डर अलॉट कर दिया।

जांच के दौरान इसके बाद अनिल कुमार वर्मा एस०डी०ई०, सब डिविजन ।। हुडा, गुरूग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक 879 दिनांक 10.10.2016 के अनुसार कार्यकारी अभियंता 5, हुडा, गुरुग्राम को लिखा। पत्र के अनुसार फर्म एस०के० मित्तल द्वारा 60 प्रतिशत कार्य करने के बाद, दिये हुये काम को सैक्टर 103 से 106 डिवाईडिंग रोड तक बढ़ाने के लिये नया टैण्डर लगाये बगैर फर्म से उसी रेट पर काम करने की सहमति लेकर टैण्डर राशि 9.53,91,348 से 23,09,75,689 तक बढाकर (Enhance) केस कार्यकारी अभियंता को भेजा गया।

जांच के दौरान रामेश्वर सिंह बिशनोई कार्यकारी अभियंता डिविजन 5. गुरूग्राम ने उपरोक्त Enhancement case पर अपनी सहमति देते हुये अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 115133 दिनांक 22.11.2016 अनुसार केस अधीक्षक अभियंता, हुडा, गुरूग्राम को अनुमोदन के लिये भेज दिया। जिस पर नरेश कुमार पंवार, अधीक्षक अभियंता, हुडा, गुरूग्राम ने अपनी सहमति देते हुये Enhancement case अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 118348 दिनांक 25.11.2016 अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता हुडा 1 हुडा विभाग गुरूगाम को अनुमोदन के लिये भेज दिया। जिस पर एल० के० अहुजा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, हुडा, गुरूग्राम ने अपनी सहमति देते हुये उक्त केस को अपने कार्यालय के पत्र कमांक 3054 दिनांक 29.11.2016 अनुसार मुख्य अभियंता, हुडा, पंचकुला को अनुमोदन के लिये भेज दिया। उक्त पत्र पर ए०के० मग्गु मुख्य अभियंता 2 हुडा, पंचकुला द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक CE-1/EE(W)/CHD.(G)/16/12699 dated 07-12-2016 अनुसार टैण्डर राशि को कुल 22,97,42,353 रू0 तक बढ़ाते हुये कार्य को Sector dividing road of sector 103/106 GGM तक बढ़ाने के लिये अनुमोदित किया गया।

यहां यह उल्लेख किया जाता है कि उपरोक्त टैण्डर का कार्य फर्म एस०के० मित्तल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 9 माह में पूर्ण किया जाना था। लेकिन यह काम फर्म ने समय पर पूरा नहीं किया है। नियमानुसार Enhance केवल 10 प्रतिशत ही किया जाना था। फिर भी HSVP के उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों ने इन सभी तथ्यो को अनदेखा करके व साईट बदलकर फर्म के साथ मिलीभगत करके अपने आप को व फर्म का फायदा पहुंचाने के लिये सेक्टर 101/104 के रोड बनाने कार्य के अतिरिक्त Sector dividing road of sector 103/106 GGM बनाने तक का Enhance कर दिया। इस कार्य का Enhance करते समय कार्य पूर्ण करने की समय अवधि बारे कोई वर्णन नही किया गया।

इसके बाद इसी कार्य को Sector dividing road of sector 114/115 and Sector 81 to 95 GGM के विभिन्न सैक्टर डिवाईडिंग रोड की बोटल नेक / कब्जा (Encroachment)/Litigation free टुकडो तक बढ़ाने के लिये रामेश्वर सिंह बिशनोई कार्यकारी अभियंता -5. हुडा, गुरूग्राम द्वारा कार्यालय पत्र कमांक 22405 दिनांक 06.02 2017 अनुसार 22,97,42,353 रू0 से 44,53,49,700 रु० का Enhancement case तैयार करके अधीक्षक अभियंता -1, हुडा, गुरुग्राम को भेज गया। जिस पर नरेश कुमार पंवार, अधीक्षक अभियंता द्वारा उपरोक्त Enhancement case पर अपनी सहमति देते हुये अपने कार्यालय के पत्र कमांक 25617 दिनांक 09.02.2017 अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता हुडा - हुडा विभाग गुरूग्गाम को अनुमोदन के लिये भेजा गया। जिस पर अनिल कुमार माकन्, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने अपनी सहमति देते हुये कार्यालय पत्र क्रमांक 191 दिनांक 13.02.2017 अनुसार मुख्य अभियंता, हुडा, पंचकुला को अनुमोदन के लिये भेज दिया। जिसको आदेश कुमार गुप्ता मुख्य अभियंता-1

हुडा पंचकुला द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक CE-1/E.E(W)/CHD. (G)/A-1/17/28251 dated 14-02-2017 अनुसार टैण्डर की कुल राशि 44,25,48,662 रू0 तक बढ़ाते हुये कार्य को Sector dividing road of sector 114/115 and 81 to 95 GGM तक बढ़ाने के लिये अनुमोदित किया गया।

जांच के दौरान यहां यह उल्लेख किया जाता है कि सैक्टर 81 से सैक्टर 95 गुरूग्राम का क्षेत्र सेक्टर 99 से 115 गुरुग्राम के क्षेत्र के अर्न्तगत नही आता था। सैक्टर 81 से 95 गुरूग्राम की सड़क बनाने की अलग स्वीकृति मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकुला, हरियाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक 23416-19 दिनांक 09.06.2010 अनुसार 279.34 करोड रू0 की ली गई थी। लेकिन फिर से HSVP के उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों ने इन सभी तथ्यो को अनदेखा करके व साईट बदलकर फर्म के साथ मिलीभगत करके अपने आप को व फर्म का फायदा पहुंचाने के लिये सेक्टर 103/106 के रोड बनाने की बजाय Sector dividing road of sector 114/115 GGM तक और सैक्टर 81 से 95 गुरूग्राम के बोटल नेक / कब्जा (Encroachment)/Litigation free टुकडो तक बनाने के लिये उपरोक्त टैण्डर को ही फिर से Enhance कर दिया। इस कार्य का Enhance करते समय भी कार्य पूर्ण करने की समय अवधि बारे कोई वर्णन नहीं किया गया।

जांच के दौरान इसके बाद इसी कार्य को Sector dividing road of sector 69 to 70 GGM तक बढ़ाने के लिये मेजर श्वेता कार्यकारी अभियंता -3, हुडा, गुरुग्राम ने 44,25,48,662 रू0 से 52,25,56,232 का Enhancement case तैयार करके अपने कार्यालय के पत्र कमांक 105283 दिनांक 08.06.2017 अनुसार अधीक्षक अभियंता -1 हुडा गुरूग्राम को अनुमोदन के लिये भेज दिया। जिस पर रामेश्वर सिंह बिशनोई अधीक्षक अभियंता ने उपरोक्त Enhancement case को अपने कार्यालय के पत्र कमांक 8682 दिनांक 14.07.2017 अनुसार अनुमोदन के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता, हुडा, गुरूग्राम को भेज दिया। जिस पर वी०के० कालरा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने अपनी सहमति देते हुये कार्यालय पत्र क्रमांक 135182 दिनांक 20.07.2017 अनुसार मुख्य अभियंता 1, हुडा, पंचकुला को अनुमोदन के लिये भेज दिया इसी प्रकार फिर से ए०के० मग्गु मुख्य अभियंता 1 हुडा पंचकुला द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक CE-1/S.E(W)/CHD(G)ADM(G-II)/2017/135722 dated 20-7-2017 अनुसार टैण्डर राशि कुल 52,14,84,144 रू0 तक बढ़ाते हुये कार्य को Sector dividing road of sector 69/70 GGM तक बढ़ाने के लिये अनुमोदित किया गया।

जांच के दौरान यहां यह उल्लेख किया जाता है कि सैक्टर 69/70 गुरुग्राम का क्षेत्र सेक्टर 99 से 115 गुरूग्राम के क्षेत्र के अर्न्तगत नही आता था। सैक्टर 69/70 गुरूग्राम की सडक बनाने की अलग स्वीकृति मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकुला, हरियाणा कार्यालय के पत्र कमांक 87987 दिनांक 17.05.2017 अनुसार 8.77 करोड रू0 की ली गई थी। लेकिन फिर से HSVP के उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों ने इन सभी तथ्यो को अनदेखा करके व साईट बदलकर फर्म के साथ मिलीभगत करके अपने आप को व फर्म का फायदा पहुंचाने के लिये Sector dividing road of sector 114/115 GGM तक और सैक्टर 81 से 95 गुरुग्राम के बोटल नेक / कब्जा (Encroachment)/Litigation free टुकडो तक बनाने के बजाय Sector dividing road of sector 69/70 GGM बनाने के लिये उपरोक्त टैण्डर को ही फिर से Enhance कर दिया। इस कार्य का Enhance करते समय भी कार्य पूर्ण करने की समय अवधि बारे कोई वर्णन नही किया गया।

जांच के दौरान उपरोक्त सभी मामलो में ठेकेदार ने असल आवंटित कार्य को उसी रेट, नियमों और शर्तो पर इंहान्स हुये कार्य को करने की सहमति दी हुई है।

जांच के दौरान पात्रता मानदंड के अनुसार ठेकेदार कार्य के लिए केवल 27.50 करोड रू० बोली लगाने में सक्षम था। लेकिन ह०श०वि०प्रा० के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्य को बार बार बढ़ाकर बिना नया टैण्डर लगाये उसी ठेकदार को कुल 52.14 करोड़ रुपये का कार्य आवंटित कर दिया। पात्रता की कसौटी पर ध्यान नहीं दिया गया और अपात्र ठेकेदार को काम आवंटित कर दिया गया।

जांच के दौरानयह कार्य अप्रैल 2015 में सितम्बर 2014 के कोलतार 52,264 रू0 प्रति MT के रेट के हिसाब से दिया गया था। उसके बाद कोलतार की दरे घटकर 38,126 रू0 प्रति

एम टी हो गई। यह देखा गया कि नवम्बर 2016 में पहली कार्य वृद्धि व जुलाई 2017 अन्तिम कार्यवृद्धि के समय कोलतार की दर 38,126 रू० प्रति MT से घटकर 29,696 प्रति MT हो गई। जिससे अक्तुबर 2014 के रेट व जुलाई 2017 के रेट में 3.81 करोड रू0 का अन्तर आ गया। कार्य Enahnce करते समय ह०श०वि०प्रा० के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस बारे को कोई ध्यान न देकर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया है।

जांच के दौरान Haryana, PWD Code के प्रावधान जुनसार 13.12.1 Tender document may provide that the successful tenderer will furnish performance security (5 percent of the contract price or such percentage as may be prescribed) which may be in the form of bank guarantee, to be kept as a surety that the contractor completes the work satisfactorily. Initially, the performance guarantee will be valid up to end of the defects liability period plus 30 days or as prescribed in the contract data. In case the time of completion is enlarged, the validity of the guarantee shall be correspondingly extended. It carries no interest and is returned to the contractor after the date specified in the contract. 13.12.2 If the bid is seriously unbalanced or front-loaded, the amount of performance guarantee shall be got increased suitably, to protect Government interest.

जांच के दौरान तकनिकी अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला की रिपोर्ट अनुसार पीडब्ल्यूडी कोड के पैरा 13.121 के उल्लंघन में ठेकेदार से 2.60 करोड़ रुपये (52.15 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत) की प्रदर्शन सुरक्षा राशि प्राप्त नहीं ली गई थी।

जांच के दौरान अनिल कुमार, कार्यकारी अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम के बयान के अनुसार फर्म के रनिंग बिलो से कुल 2.45 करोड रू० की सुरक्षा राशि काटी जा चुकी है। जो यह राशि विभाग द्वारा उक्त जांच आरम्भ होने के बाद काटी गई है। इस तथ्य की जांच HSVP विभाग द्वारा अपने स्तर पर की जा सकती है।

जांच के दौरान इसके अलावा हरियाणा पी०डब्लू०डी० कोड 13.6.6 के अनुसार मुख्य अभियंता द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य पूर्ण करने का समय तय करने के लिये दिशा निर्देश जारी करने बहुत जरूरी है। क्योकि यह अनुबन्ध मूल्य, ग्राहक / उपयोगकर्ता की अपेक्षा और विभाग की छवि को प्रभावित कर सकता है। किसी भी स्थिति में यह अवधि मनमाने ढंग से तय नही की जायेगी।

जांच के दौरान तकनिकी रिपोर्ट अनुसार मुख्य अभियंता, ह०श०वि०प्रा० द्वारा कार्य की समय अवधि तय किये बिना काम को 9.54 करोड रू0 से 52.25 करोड रू0 तक बढ़ा दिया गया। जिससे para 13.6.3 (c) and (d) के सन्दर्भ में कॉन्ट्रेक्ट अस्पष्ट और अनिश्चित हो गया।

जांच के दौरान तकनिकी अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण से बचने और मुकदमेबाजी को टालने के लिये कॉलोनाइजरों के अनुरोध के कारण सडकों के निमार्ण की तात्कालिकता (Urgency) की दलील पर पी०डब्लू०डी० कोड के विपरित एक अयोग्य ठेकेदार को एग्रीमेन्ट मे 9.54 करोड से 52.15 करोड तक बढ़ोतरी करके दिया गया। जिसके कारण केवल 6 प्रतिशत (2,19,864 वर्ग मीटर के मुकाबले 12.800 वर्ग मीटर) कार्य पूरा हो सका। फर्म द्वारा जनवरी 2016 तक 30,190 वर्गमीटर सडक का निमार्ण किया जाना था। जिसे पूर्ण करने में फर्म विफल रही है।

जांच के दौरान इसके अलावा फर्म से 2.60 करोड रू० से प्रदर्शन सुरक्षा राशि जमा न करवाकर और कोलतार के रेट में कमी आने पर फर्म के रनिंग बिलों से वसूल ना करके ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया है। समय सीमा तय ना होने के कारण एग्रीमेन्ट भी अस्पष्ट एवं अनिश्चित हो गया।

जांच के दौरान कॉन्ट्रेक्ट के दायरे से अलग विभिन्न अवसरों पर एक ही फर्म को अतिरिक्त कार्य आवंटित करने की यह प्रक्रिया, पी०डब्लू०डी० कोड के नियमों, हुडा के निर्देशों और DNIT के मापदण्डो की उलंघना करके और कॉन्ट्रेक्ट को असिमित समय तक खुला रखकर इसे शुन्य बना दिया है।

जो जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके श्रीमान पुलिस

अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1581/भ्र०नि०ब्यूरो० / गुरुग्राम दिनांक 20.03. 2024 के अनुसार भेजी गई थी। आरोप न० 02 में आदर्श कुमार गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता-1 HSVP, पंचकुला, अशोक कुमार मग्गु तत्कालीन मुख्य अभियंता-2, HSVP, पंचुकला, एल०के० आहुजा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1 HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार माकन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1, HSVP, गुरुग्राम, नरेश कुमार पंवार, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार वर्मा तत्कालीन एस०डी०ई० सब डिविजन-XIII, HSVP, गुरुग्राम, रामेश्वर सिंह बिशनोई तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5,HSVP, गुरूग्राम हाल सेवानिवृत, वी०के० कालरा, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, HSVP, पंचकुला, मेजर श्वेता शर्मा नगरकोटी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम हाल तैनात कार्यकारी अभियंता, जी०एम०डी०ए० गुरूग्राम व सुरेन्द्र कुमार मित्तल ठेकेदार मकान नं0 1355 सेक्टर-18 फरीदाबाद के विरूध जेर धारा 7,13 (1) पी०सी०एक्ट 1988 और 409,420,120 बी भा०द०स० के अनुसार अपराध करना पाया जाने पर प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने की सस्तुति के साथ आदर्श कुमार गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता-1 HSVP, पंचकुला, अशोक कुमार मग्गु तत्कालीन मुख्य अभियंता-2, HSVP, पंचुकला, एल०के० आहुजा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1 HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार माकन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1, HSVP, गुरुग्राम, नरेश कुमार पंवार, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार वर्मा तत्कालीन एस०डी०ई० सब डिविजन-XIII, HSVP, गुरुग्राम, रामेश्वर सिंह बिशनोई तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5,HSVP, गुरूग्राम हाल सेवानिवृत, वी०के० कालरा, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, HSVP, पंचकुला, मेजर श्वेता शर्मा नगरकोटी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम हाल तैनात कार्यकारी अभियंता, जी०एम०डी०ए० गुरूग्राम व सुरेन्द्र कुमार मित्तल ठेकेदार मकान नं0 1355 सेक्टर-18 फरीदाबाद के खिलाफ जुर्म जेर धारा 7,13 (1) पी०सी०एक्ट 1988 और 409,420,120 बी भा०द०स० उपरोक्त जांच मे प्रतिवादी आदर्श कुमार गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता-1 HSVP, पंचकुला, अशोक कुमार मग्गु तत्कालीन मुख्य अभियंता-2, HSVP, पंचुकला, एल०के० आहुजा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1 HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार माकन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1, HSVP, गुरुग्राम, नरेश कुमार पंवार, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार वर्मा तत्कालीन एस०डी०ई० सब डिविजन-XIII, HSVP, गुरुग्राम, रामेश्वर सिंह बिशनोई तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5,HSVP, गुरूग्राम हाल सेवानिवृत, वी०के० कालरा, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, HSVP, पंचकुला, मेजर श्वेता शर्मा नगरकोटी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम हाल तैनात कार्यकारी अभियंता, जी०एम०डी०ए० गुरूग्राम व सुरेन्द्र कुमार मित्तल ठेकेदार मकान नं0 1355 सेक्टर-18 फरीदाबाद के खिलाफ जुर्म जेर धारा धारा 7,13 (1) पी०सी०एक्ट 1988 और 409,420,120 बी भा०द०स०के अनुसार अभियोग अंकित करने के लिए ड्राफ्ट/तहरीर श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के कार्यालय के पत्र क्रमांक 5111/SV ACB/GGM dated 05.09.2025 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पचकुला हरियाणा भेजी गई । जिसके उपरान्त अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रंमाक 17928/1-2/ACB(H) dated Panchkula, the 05.09.2025 के अनुसार उपरोक्त आरोपीयो के खिलाफ जुर्म जेर धारा 7,13 (1) पी०सी०एक्ट 1988 और 409,420,120 बी भा०द०स० के तहत तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है । पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम द्वारा मन उप पुलिस अधीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है । आज मैं हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम हूँ । जो उपरोक्त तहरीर बर खिलाफ आदर्श कुमार गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता-1 HSVP, पंचकुला, अशोक कुमार मग्गु तत्कालीन मुख्य अभियंता-2, HSVP, पंचुकला, एल०के० आहुजा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1 HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार माकन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता-1, HSVP, गुरुग्राम, नरेश कुमार पंवार, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम, अनिल कुमार वर्मा तत्कालीन एस०डी०ई० सब डिविजन-XIII, HSVP, गुरुग्राम, रामेश्वर सिंह बिशनोई तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5,HSVP, गुरूग्राम हाल सेवानिवृत, वी०के० कालरा, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, HSVP, पंचकुला, मेजर श्वेता शर्मा नगरकोटी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-5, HSVP, गुरुग्राम हाल तैनात कार्यकारी अभियंता, जी०एम०डी०ए० गुरूग्राम व सुरेन्द्र कुमार मित्तल ठेकेदार मकान नं0 1355 सेक्टर-18 फरीदाबाद जुर्म जेर धारा 7,13 (1) पी०सी०एक्ट 1988 और 409,420,120 बी भा०द०स० अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने व किसी अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे अनुंसधान के दौरान देख लिये जाने बारे तहरीर तैयार करके मुख्य सिपाही इन्द्रजीत बैल्ट न0 188/फरीदाबाद के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो गुरुग्राम भेजी जा रही है । अभियोग दर्ज करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जावे । अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु अर्जुन देव, ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पास भिजवाई जावे । sd ASHOK(अशोक कुमार, ह०पु० से०) उप पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरुग्राम। समय 5.55 PM DT 05.09.2025 अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजा जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले मु0सि0 इन्द्रजीत न0 188/फरीदाबाद के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP अर्जुन देव राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.** 2 **में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARJUN DEV **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): H22 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.